संख्या- 90/2113/बयालिस-2015-12(विविध)/2013

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 05 नवम्बर, 2015**

विषय :- जनपद एटा की तहसील अलीगंज में स्पोर्टस स्टेडियम के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- जी0- 627/नि0एटा-स्पो0पत्रा0/2014-15, दिनांक 08 सितम्बर, 2015 के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय जनपद एटा की तहसील अलीगंज में स्पोर्टस स्टेडियम के निर्माण के सम्बन्ध में प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत रू0 816.05 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय वर्ष- 2015-16 में बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 100.00 लाख (रू0 एक करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते है :-

(1)- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 100.00 लाख (रू0 एक करोड़ मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त स्वीकृत धनराशि परिव्यय एवं बजट सीमा के अन्तर्गत निर्गत की जा रही है।

(2)- प्रायोजना अन्तर्गत नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(3)- प्रायोजना का निर्माण कार्य पूर्ण करने से पूर्ण मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाये।

(4)- प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी वर्ष- 2014 की अनुसूची दरों के आधार पर किया गया है। बाजार/कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित प्रोप्राइटरी सम्बन्धी कार्य मदों पर व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत न्यूनतम आवश्यकता एवं उच्च गुणवत्ता के साथ सम्पादित कराया जाये एवं इन मदों पर वास्तविक व्यय ही देय होगा।

(6)- कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल एवं कार्यदायी संस्था की होगी।

(7)- स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(8)- प्रायोजना की लागत में टाइम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन न हो अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212(VII) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(9)- लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(10)- प्रायोजनान्तर्गत यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(11)- प्रायोजनान्तर्गत समय-समय पर कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए गुणवत्ता युक्त कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(12)- प्रायोजना प्रस्ताव में विघुत संयोजन हेतु रू0 10.00 लाख प्रस्तावित किया गया है, प्रयोजना प्रस्ताव में .विद्युत संयोजन का विस्तृत आगणन उपलब्ध नही है अत: .विद्युत संयोजन का विस्तृत आगणन .विद्युत विभाग से प्राप्त कर विघुत संयोजन पर व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(13)- कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड- 6 के अध्याय- 12 के प्रस्तर- 318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

2- उक्त मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2015-16 के अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक- " 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-95-जनपद एटा की तहसील अलीगंज में स्पोर्टस स्टेडियम का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य " के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या- ई-5- 1291/2015, दिनांक 03 नवम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

अनिल कुमार
अनु सचिव।

<u>संख्या- 90/2113(1)/बयालिस-2015-तद्दिनांक :-</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-</u>

(1)- महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2)- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3)- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
(4)- जिलाधिकारी, एटा।
(5)- प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
(6)- क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, आगरा/क्रीड़ाधिकारी, एटा ।
(8)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
(9)- वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग- 5
(10)- गार्ड फाईल/कम्पयूटर प्रति।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in